

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/ 2016, 24/2016, 50/2016, 22/2016, 70/2016, 28/2016,
27/2016, 45/2016, 49/2016, 43/2016 जिला सीकर ।

बोदूराम पुत्र रामदेव, जाति मीणा, निवासी ग्राम बलरामपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी बुद्धराम आचारी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी श्री मोहन लाल आचारी, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 95, पपुरना, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू ।

रेस्पोंडेन्ट्स

3. दीनदयाल पुत्र स्व. रामेश्वर
4. गजानन्द पुत्र स्व. श्री प्रभुराम
5. मु. बिदामी देवी धर्मपत्नी श्री प्रभुराम
जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी मौहल्ला आचारियों का, वार्ड नं. 5 सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
6. बनवारी पुत्र हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
7. सम्पत्त कुमार
8. रिछपाल
9. परमेश्वर
पुत्रान स्व. सीताराम, जाति चेजारा, निवासी चेजारों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 19 सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
10. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी सोहन लाल, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी ग्राम घण्टेल, रतनगढ रोड, तहसील चुरू, जिला चुरू ।
11. श्रीमती रामदेवी पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी सुखदेव आचारी, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी ग्राम नृसिंहपुरी, पोस्ट गुहाला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
12. श्रीमती तारा पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी प्रेम कुमार आचारी, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी मौहल्ला आचारियों का, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
13. ग्राम पंचायत कंवरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर ।
14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद, तहसील धोद, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 30.3.2015 बाबत
नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 ग्राम पंचायत कंवरपुरा

उपरिथत—

1. वकील अपीलान्त श्री हेमन्त सोगानी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी, हरलाल सिंह एवं विजय कुमार जांगीड

दिनांक
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

अपील संख्या 24/2016 जिला सीकर

रिछपाल पुत्र सीताराम, जाति चेजारा, निवासी चेजारों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 19 सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरस्वती तथाकथित पुत्री स्व. भागीरथ, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) मृतक जरिये -
 - 1/1 कमला देवी पुत्री स्व० सरस्वती देवी
 - 1/2 मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी
 जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर
3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम
समस्त जातियान आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला आचार्यों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)
5. तहसीलदार, सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 30.3.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 ग्राम पंचायत कंवरपुरा

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री हर लाल सिंह
- वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 50/2016 जिला सीकर

चन्द्रस्वरूप पुत्र प्यारेलाल कायस्थ, जाति कायस्थ, निवासी वार्ड नं. 5 सालासर बस स्टेण्ड, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरस्वती देवी पुत्री भागीरथ, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल आबाद ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) मृतक जरिये -
 - 1/1 कमला देवी पुत्री स्व० सरस्वती देवी
 - 1/2 मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी
 जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर

3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम
समस्त जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 , मौहल्ला आचारियों का,
सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)
5. ग्रम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 30.3.2015 बाबत
नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 ग्रमपंचायत कंवरपुरा

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्त श्री अखिलेश कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

अपील संख्या 22/2016 जिला सीकर

1. सम्पत्त कुमार
2. परमेश्वर

पुत्रान स्व. सीताराम, जाति चेजारा, निवासीगण चेजारों का मौहल्ला, जिला सीकर
(राज.)।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला देवी धर्मपत्नी बुद्धराम पुत्री सरस्वती देवी , जाति आचारी ब्राह्मण हाल
निवासी ग्रम भाभरू वाया शाहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)
2. मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासीनी पपुरना, तहसील
खेतडी, जिला झुंझुनू(राज.) पितग्रह ग्रम सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
(राज.)

गजानन्द पुत्र प्रभूराम

बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम

जाति आचारी ब्राह्मण, निवासीगण वार्ड नं. 21 , मौहल्ला आचारियों का, सीकर
तहसील व जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

5. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला
आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

6. ग्रम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

औप.रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 30.3.2015 बाबत
नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 ग्रमपंचायत कंवरपुरा

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्त श्री विजय कुमार जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

अपील संख्या 70/2016 जिला सीकर

दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. कमला देवी धर्मपत्नी बुद्धराम पुत्री सरस्वती देवी, जाति आचारी ब्राह्मण हाल निवासीनी ग्राम भाबरू वाया शाहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.) पितग्रह ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. मुन्नी देवी धर्मपत्नि मोहन लाल पुत्री सरस्वती देवी, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासीनी पपुरना, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू (राज.) पितग्रह ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम
जाति आचारी ब्राह्मण, निवासीगण वार्ड नं. 21, मौहल्ला आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)
5. ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 30.3.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 ग्राम पंचायत कंवरपुरा

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय कुमार जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी एवं श्री चन्द्रभान राव

अपील संख्या 23/2016 जिला सीकर

बुद्धराम पुत्र रामदेव, जाति मीणा, निवासी ग्राम बलरामपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी बुद्धराम आचारी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी श्री मोहन लाल आचारी, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 95, पपुरना, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू ।

रेस्पोंडेन्ट्स

3. दीनदयाल पुत्र स्व. रामेश्वर
4. गजानन्द पुत्र स्व. श्री प्रभूराम
5. मु. बिदामी देवी धर्मपत्नी श्री प्रभूराम
जाति आचारी ब्राह्मण, निवासी मौहल्ला आचारियों का, वार्ड नं. 5 सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
6. बनवारी पुत्र हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
7. सम्पत्त कुमार
8. रिछपाल

9. परमेश्वर
पुत्रान स्व. सीताराम, जाति चेजारा, निवासी चेजारों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 19
सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
10. श्रीमती भंवर देवी पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी सोहन लाल, जाति आचारी ब्रह्मण,
निवासी ग्राम घण्टेल, रतनगढ रोड, तहसील चुरू, जिला चुरू ।
11. श्रीमती रामदेवी पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी सुखदेव आचारी, जाति आचारी ब्रह्मण,
निवासी ग्राम नृसिंहपुरी, पोस्ट गुहाला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
12. श्रीमती तारा पुत्री स्व. रामेश्वर धर्मपत्नी प्रेम कुमार आचारी, जाति आचारी ब्रह्मण,
निवासी मौहल्ला आचारियों का, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
13. ग्राम पंचायत कंवरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला
सीकर ।
14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोद, तहसील धोद, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.5.2015

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्त श्री हेमन्त सोगानी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी, हरलाल सिंह

अपील संख्या 27/2016 जिला सीकर

बनवारी लाल पुत्र हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील व जिला
सीकर ।

अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी नामालूम, पुत्री स्व. श्रीमती सरस्वतीर देवी, जाति
तारक, निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी नालूम, पुत्री स्व. श्रीमती सरस्वतीर देवी, जाति
तारक, निवासी ग्राम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
3. दीनदयाल पुत्र स्व. रामेश्वर
4. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री स्व. रामेश्वर
5. श्रीमती रामदेवी पुत्री स्व. रामेश्वर
6. श्रीमती तारा पुत्री स्व. रामेश्वर
7. गजानन्द पुत्र स्व. श्री प्रभुराम
8. मु. बिदामी देवी पत्नी स्व. श्री प्रभुराम
जाति तारक, निवासी वार्ड नं. 21, आचारियों का मौहल्ला, सीकर, तहसील व
जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

9. सम्पत्त कुमार
10. रिछपाल
11. परमेश्वर

पुत्रान स्व. सीताराम चेजारा, जाति कुमावत, निवासी चेजारों का मौहल्ला, वार्ड
नम्बर 19, तहसील व जिला सीकर ।

12. बोदूराम पुत्र रामदेव, जाति भीणा, निवासी वार्ड नं. 14, तहसील व जिला सीकर ।
13. ग्राम पंचायत कंवरपुरा , तहसील धोद, जिला सीकर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद, तहसील धोद, तहसील धोद, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.5.2015

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री संजय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी, श्री विजय कुमार जांगीड , श्री हरलाल सिंह

अपील संख्या 45/2016 जिला सीकर

1. सम्पत्त आयु 64 वर्ष
2. परमेश्वर आयु 45 वर्ष
पुत्रान स्व. सीताराम, जाति चेजारा, निवासीगण चेजारों का मौहल्ला, जिला सीकर (राज.) ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमला देवी धर्मपत्नी बुद्धराम पुत्री सरस्वती देवी , जाति आचारी ब्राह्मण हाल निवासीनी ग्राम भाभरू वाया शाहपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर(राज.)
पितृग्रह ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी, जाति आचारी ब्राह्मण, निवासीनी पपुरना, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनू(राज.) पितृग्रह ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम
जाति आचारी , निवासीगण वार्ड नं. 21 , मौहल्ला आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

5. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, जाति आचारी , निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)
6. ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

औप.रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.5.2015

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री विजय कुमार जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

चित्रा
प्रतिरिक्त संभागीय
जयपुर

अपील संख्या 49/2016 जिला सीकर

चन्द्रस्वरूप पुत्र प्यारेलाल कायस्थ, जाति कायस्थ, निवासी वार्ड नं. 5 सालासर बस स्टेण्ड, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. सरस्वती देवी पुत्री भागीरथ, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल आबाद ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) मृतक जरिये –
- 1/1 कमला देवी पुत्री स्व० सरस्वती देवी
- 1/2 मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी
जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर
3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम
समस्त जाति आचारी, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला आचारियों का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)
5. तहसीलदार धोद, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.5.2015

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री अखिलेश कुमार सैनी एवं श्री हरि प्रसाद जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

चित्र

अतिरिक्त संभागीय प्रायुक्त
बसपुर

अपील संख्या 43/2016 जिला सीकर

रिछपाल पुत्र सीताराम, जाति चेजारा, निवासी चेजारों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 19 सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरस्वती तथाकथित पुत्री स्व. भागीरथ, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल निवासी ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.) मृतक जरिये –
- 1/1 कमला देवी पुत्री स्व० सरस्वती देवी
- 1/2 मुन्नी देवी पुत्री सरस्वती देवी
जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
2. दीनदयाल पुत्र रामेश्वर
3. गजानन्द पुत्र प्रभूराम
4. बिदामी देवी पत्नी प्रभूराम

समस्त जातियान आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 , मौहल्ला आचार्यो का, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) ग्रम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

5. तहसीलदार , सीकर (राज.)
6. भंवरी देवी पुत्री रामेश्वर
7. राम देवी पुत्री रामेश्वर
8. तारा देवी पुत्री रामेश्वर
जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 मौहल्ला आचार्यो का सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)
9. कमला पुत्री सरस्वती
10. मुन्नी पुत्री सरस्वती
जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी ग्रम सिरोही, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 7.5.2015 उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री हर लाल सिंह
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सांवरमल चौधरी

निर्णय

दिनांक— 9.10.2018

यह दस द्वितीय एवं प्रथम अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.3.2015 एवं तहसीलदार धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 7.5.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। इन दस अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दस अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में रखी जावे। प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्रम कंवरपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार भागीरथ पुत्र लाला था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 159 मृतक भागीरथ के पुत्र रामेश्वर के नाम ग्रम पंचायत कंवरपुरा द्वारा दिनांक 5.7.1970 को तस्दीक किया गया। भू प्रबन्ध के दौरान पुराने खसरा नम्बर 155 के नये खसरा नम्बर 814 रकबा 3.65 हैक्टेयर नया राजस्व ग्रम बलरामपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर कायम किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 से व्यथित होकर मृतक खातेदार भागीरथ की पुत्री सरस्वती (मृतक) कमला देवी, मुन्नी देवी पुत्रियों सरस्वती द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.3.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करें।

चित्र
व्यतिरिक्त संभागाध्यक्ष कंवरपुरा

उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 30.3.2015 की अनुपालना में तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.5.2015 द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट, नगर परिषद सीकर के वार्ड पार्श्व वार्ड नं. 15 के वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व पक्षकारों के साक्ष्य से दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, भंवरी देवी, राम देवी, तारा पुत्रियाँ रामेश्वर, गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम, कमला, मुन्नी पुत्रियाँ सरस्वती एवं भागीरथ के वैध वारिसान प्रमाणित होने से उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित मानते हुये हल्का पटवारी कंवरपुरा को आदेश दिया गया कि ग्राम बलरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 814 रकबा 3.65 हैक्टेयर में दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, भंवरी देवी, रामदेवी, तारा पुत्रियाँ रामेश्वर हिस्सा 1/3 हिब. गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/3 हिब., कमला देवी, मुन्नी देवी पुत्रियाँ सरस्वती हिस्सा 1/3 के नाम नामांतरकरण दर्ज कर फ़ैसल करावें।

विवादित भूमि मृतक खातेदार भागीरथ की विरासत के आधार पर रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने के पश्चात् रामेश्वर पुत्र भागीरथ ने 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.12.1965 से नथमल पुत्र बोदूराम जाति चेजारा को किया गया एवं नामांतरकरण संख्या 160 नथमल के नाम दिनांक 5.7.70 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। नथमल चेजारा द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.2.1992 द्वारा अपील संख्या 44/16, 28/16 के अपीलान्त बोदूराम मीणा को विक्रय कर दी ओर नामांतरकरण संख्या 87 तहसीलदार द्वारा केता बोदूराम मीणा के नाम तस्दीक किया गया एवं जमाबन्दी 2069-2072 में बोदूराम पुत्र रामदेव मीणा वार्ड नम्बर 14 सीकर 4 बीघा 9 बिस्वा राहिन आर.जी.बी.शाखा फतेहपुर रोड सीकर मूर्तहीन बरवारी लाल पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट नि. दौलतपुरा हिस्सा 4 बीघा 10 बिस्वा अपील संख्या 27/16 के अपीलान्त के नाम तथा उक्त भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि के केतागण सम्पत कुमार, रिछपाल, परमेश्वर पि. सीताराम जाति चेजारा अपील संख्या 24/16, 43/16 के अपीलान्त रिछपाल, अपील संख्या 22/16, 45/16 के अपीलान्त सम्पत्त का नाम अंकित है। अपील संख्या 50/16, 51/16 के अपीलान्त चन्द्र स्वरूप कायस्थ द्वारा उक्त भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये इकरारनामा कय की थी एवं इकरारनामों के आधार पर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराने हेतु दावा न्यायालय एम.जे.एम. सीकर में चन्द्र स्वरूप बनाम प्रभुदयाल उनवानी में न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6.9.80 खिलाफ प्रतिवादी प्रभुदयाल डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 155 ग्राम कंवरपुरा तहसील व जिला सीकर रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता का विक्रय विलेख वादी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत कराये जाने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय के अनुसार दिनांक 31.5.82 को अपीलान्त चन्द्रस्वरूप के नाम विक्रय पत्र पंजीकृत हुआ है। उक्त भूमि में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3.9.2003 से श्रीमती सरबती देवी बेवा रामेश्वर एवं अपील संख्या 70/16 के अपीलान्त दीनदयाल पुत्र स्व. रामेश्वर द्वारा कय की है।

विवादित भूमि विक्रय होने के पश्चात् विवादित भूमि के मृतक खातेदार भागीरथ की विरासत के रामेश्वर के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1070 के खिलाफ सरस्वती पुत्री भागीरथ की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 30.5.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार धोद को मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने से तथा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 30.5.2015 की अनुपालना में

चित्रा
अतिरिक्त
संभारण्य
कायस्थ

खातेदारी भूमि 5 बीघा 3 बिस्वा सम्पत कुमार, रिछपाल व परमेश्वर पुत्रान सीताराम चेजारा को विक्रय करदी तथा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के नाम नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 20.5.2011 तस्दीक हुआ है । उनका कहना था विवादित भूमि का विधिवत विक्रय होने के पश्चात् विवादित भूमि के मूल खातेदार मृतक भागीरथ की विरासत के नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.70 के खिलाफ सरस्वती पुत्री भागीरथ की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.3.2015 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करते हुये मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार धोद को प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार धोद ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.2015 पारित कर ग्राम बलरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 814 रकबा 3.65 हैक्टेयर में दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, भंवरी देवी, रामदेवी, तारा पुत्रियों रामेश्वर हिस्सा 1/3 हिब. गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/3 हिब., कमला देवी, मुन्नी देवी पुत्रियों सरस्वती हिस्सा 1/3 के नाम नामांतरकरण दर्ज कर फ़ैसल कराने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया है तथः इस आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 211 दिनांक 20.7.2015 को तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार को बिना सुने उसके हितों के विपरीत पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष मृतक खातेदार भागीरथ की पुत्री सरस्वती की अपील करीबन 44 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी । मियाद का बिन्दु भी विधि का मूलबिन्दु है । विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन का कारण संतोषजनक होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निराशाजनक 44 वर्ष के विलम्ब को बिना किसी संतोषजनक कारण के क्षमा कर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के विधिवत क्रेताओं का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका था तथा इसका प्रारम्भ से ही ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी सरस्वती देवी को था, लेकिन तथ्यों को छिपाते हुये अपील प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों के विपरीत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे ।

रेस्पॉण्डेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार भागीरथ था जिसके दो पुत्र रामेश्वर, प्रभूराम व एक पुत्री सरस्वती थी । रामेश्वर के फौत होने पर उसके वारिस उसके पुत्र दीनदयाल, पुत्री भंवरी, रामदेवी, तारा एवं प्रभूराम के फौत होने पर उसके वारिस पुत्र गजानन्द व बिदामी (पत्नी) है एवं पुत्री सरस्वती के फौत होने पर उसके वारिस पुत्री कमला व मुन्नी है । खातेदार भागीरथ के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.70 को ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा केवल रामेश्वर पुत्र भागीरथ के नाम तस्दीक कर दिया एवं मृतक भागीरथ के अन्य पुत्र प्रभूराम व पुत्री सरस्वती एवं उसके वारिसान को छोड़ दिया गया । उनका कहना था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में मृतक के विधिक प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम नामांतरकरण

चिन्ता
प्रतिरिक्त
संभावित
बन्धु

तस्दीक किया जाना चाहिये था , लेकिन प्रथम श्रेणी के वारिसानों को छोड़कर नामांतरकरण अकेले रामेश्वर के नाम तस्दीक किया है, जो प्रारम्भ से ही विधि विरुद्ध एवं शून्य है जिसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.70 के खिलाफ मृतक भागीरथ की पुत्री सरस्वती द्वारा उप खण्ड अधिकारी धोद के समक्ष अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 30.3.2015 द्वारा विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 निरस्त किया जाकर प्रकरण मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार धोद को प्रतिप्रेषित किया गया एवं इसकी अनुपालना में तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 7.5.2015 पारित कर ग्राम बलरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 814 रकबा 3.65 हैक्टेयर में दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, भंवरी देवी , रामदेवी,, तारा पुत्रियाँ रामेश्वर हिस्सा 1/3 हिब. गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/3 हिब., कमला देवी , मुन्नी देवी पुत्रियाँ सरस्वती हिस्सा 1/3 के नाम नामांतरकरण दर्ज कर फैसल कराने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया । तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 7.5.2015 की अनुपालना में तहसीलदार ने नामांतरकरण संख्या 211 दिनांक 20.7.2015 तस्दीक कर दिया है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स विवादित भूमि पर काबिज काश्त है तथा जब तक विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तब उसके किसी भी भू भाग का विक्रय नहीं हो सकता । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिन्हें यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे । उनके द्वारा ए.आई.आर. 1996 एस.सी. पृष्ठ 2823, ए.आई. आर. 2015 आर.1, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4800, 2013 सुप्रीम कोर्ट केसेज 425, ए. आई.आर. 2016 एस.सी. 1169, 2008 सुप्रीम कोर्ट केसेज 219, डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 375/2002 रामकुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.8.2015 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार भागीरथ की विरासत के नामांतरकरण का है । खातेदार भागीरथ की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 को ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा केवल एक पुत्र रामेश्वर के नाम तस्दीक कर दिया एवं अन्य पुत्र पुत्री एवं उनके वारिसान को छोड़ दिया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 से व्यथित होकर मृतक खातेदार भागीरथ की पुत्री सरस्वती (मृतक) कमला देवी , मुन्नी देवी पुत्रियाँ सरस्वती द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.3.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 159 दिनांक 5.7.1970 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करें । उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 30.3.2015 की अनुपालना में तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.2015 द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट, नगर परिषद सीकर के वार्ड पार्षद वार्ड नं. 15 के वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व पक्षकारों के साक्ष्य से दीनदयाल

पुत्र रामेश्वर , भंवरी देवी, राम देवी, तारा पुत्रियाँ रामेश्वर, गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम, कमला , मुन्नी पुत्रियाँ सरस्वती एवं भागीरथ के वैध वारिसान प्रमाणित होने से उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित मानते हुये हल्का पटवारी कंवरपुरा को आदेश दिया गया कि ग्राम बलरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 814 रकबा 3.65 हैक्टेयर में दीनदयाल पुत्र रामेश्वर, भंवरी देवी , रामदेवी,, तारा पुत्रियाँ रामेश्वर हिस्सा 1/3 हिब. गजानन्द पुत्र प्रभूराम, बिदामी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/3 हिब., कमला देवी , मुन्नी देवी पुत्रियाँ सरस्वती हिस्सा 1/3 के नाम नामांतरकरण दर्ज कर फ़ैसल करावें । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता होने के आधार पर यह दस अपीलें क्रमशः उप खण्ड अधिकारी धोद एवं तहसीलदार धोद के निर्णयों के खिलाफ प्रस्तुत कर मुख्य आपत्ति की है कि के विवादित भूमि के विधिवत क्रेता हैं, जिन्हें बिना सुने व बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किये है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.3.15 की पालना में तहसीलदार धोद ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.15 पारित कर नामांतरकरण संख्या 211 दिनांक 20.7.2015 तस्दीक कर दिया है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के विधिवत क्रेता है एवं राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स प्रकरण में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के समक्ष न तो पक्षकार बनाया गया और न ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । हम समझते हैं कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । चूंकि उप खण्ड अधिकारी धोद द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया था तथा इसकी अनुपालना में तहसीलदार ने विवादित भूमि के क्रेता अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः तहसीलदार धोद को उप खण्ड अधिकारी धोद के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.3.15 की अनुपालना में विवादित भूमि के विधिवत क्रेता अपीलान्ट्स को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.3.2015 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 44 / 2016, 24 / 2016, 50 / 2016, 22 / 2016, 70 / 2016 तथा तहसीलदार धोद के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.5.2015 के खिलाफ प्रस्तुत अपील 28 / 2016, 27 / 2016, 45 / 2016, 49 / 2016, 43 / 2016 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार धोद का अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.2015 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद दिनांक 30.3.2015 के पृष्ठ संख्या 6 के अंतिम पैरा में अंकित आदेश " मामला तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला जाति तारग सा. सीकर के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करें", के स्थान पर यह संशोधित किया जाता है कि " मामला तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार भागीरथ पुत्र लाला जाति तारग सा. सीकर के समस्त मौजूदा प्रथम श्रेणी के वारिसान के बारे में जांच कर एवं विवादित भूमि के समस्त विधिवत क्रेतागण अपीलान्ट्स को भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का

चित्र

अतिरिक्त संभावित कार्य

समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही करें" ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे ।
इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 9.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्ता
जयपुर जयपुर